जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
112/15
A3

13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 112/2015 श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह निवासी वार्ड न0 12, टीचर कोलोनी, तहसील सादुलशहर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 23.06.2015 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

(1) जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 20.06.2014 से दिनांक 20.06.2015 तक जारी किये गये शस्त्र लाईसेन्सो के रजिस्टर रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दी जावे।
(2) शस्त्र प्रकरण में शस्त्र लाईसेन्स लेने के कितने आवेदको के आवेदन पत्र लम्बित (विचाराधीन) है जिनकी जांच अभी जिला प्रशासन द्वारा नही मंगवाई गई है, उनकी सूची मय नाम व पता।

अपीलार्थी श्री मनदीप सिंह द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 466 दिनांक 31.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने व प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है इस सन्दर्भ में पत्र सं0 603 दिनांक 23.07.15 से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 603 दिनांक 23.07.15 से प्रार्थी को निम्नानुसार उत्तर समय अवधि में ही दिया गया हैः–

आप द्वारा बिन्दु संख्या 01 में चाही गयी सूचना तृतीय पक्षो से संबंधित है आवेदन में आपने उन पक्षो का विवरण नही दिया गया है एवं आप द्वारा बिन्दु संख्या 02 में चाही गयी सूचना प्रश्न के रूप में है।

अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है आप किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे से 01 बजे के मध्य उपस्थित होकर चाही गयी सूचना के संबंध में अभिलेख का नियमानुसार अवलोकन कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
112/15
AB/2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और तृतीय पक्ष से संबंधित भी नही होनी चाहिए तथा कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए तथा चाही गई सूचना से किसी व्यक्ति विशेष की जान माल की सुरक्षा प्रभावित नही होनी चाहिए।

चूंकि चाही गई सूचनांओ का संबंध तृतीय पक्षो से संबंधित है और प्रश्नात्मक रूप में भी है तथा संबंधित अनुज्ञापत्रधारीयों के अनुज्ञापत्रो की जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। ऐसी अवस्था में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने के संबंध में दिया गया आदेश उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अति0 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी किसी निश्चित अनुज्ञापत्रधारक के संबंध में पूर्ण विवरण देकर कोई सूचना लेना चाहे तो उस पर नियमानुसार ही विचार करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर